Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 42-2018/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, MARCH 10, 2018 (PHALGUNA 19, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 10th March, 2018

No. 13-HLA of 2018/4098.— The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 13- HLA of 2018

THE HARYANA MANAGEMENT OF CIVIC AMENITIES AND INFRASTRUCTURE DEFICIENT MUNICIPAL AREAS (SPECIAL PROVISIONS) AMENDMENT BILL, 2018

A

BILL

further to amend the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provision) Amendment Act, 2018.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 21st April, 2018.

Amendment of section 4 of Haryana Act 14 of 2016.

2. In section 4 of the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016,-

(i) in sub-section (1), for the words “two years”, the words “three years” shall be substituted; and

(ii) in sub-section (2), for the words “two years”, the words “three years” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provision) Act 2016 was enacted to identify those areas falling within municipal limits where construction has taken place on more than fifty percent plots prior to 31st March 2015 to declare such areas as the Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas to provide Civic Amenities and Infrastructure in such Areas. In this Act under section 4 "Enforcement to be kept in Abeyance" was for a period of one year which was upto20.04.2017. The department took following action within the validity period of one year.

a. Issued guidelines to seek proposal from municipalities *vide* letter dated 10.7.2015

b. Circulated the procedure *vide* memo dated 16.09.2016, 18.11.2016 and 26.12.2016 which were kept on hold *vide* memo dated 08.08.2017.

c. Issued development charges *vide* order dated 04.10.2016. which were kept on hold *vide* memo dated 21.10.2016.

Since, action regarding declaration of unauthorized colonies could not be completed within one year, therefore an amendment in the Act was brought extending the time limits from "one year" to "two years" *vide* notification of amendment dated 23.11.2017. The said Act is valid till 20.04.2018.

a. Thereafter proposals received from various municipalities were examined out of the proposal of total 982 colonies of 80 municipalities 528 colonies have been found eligible.

b. 15 colonies of Municipal Cortporation, Gurugram and 9 colonies of Municipal Corporation, Faridabad have been notified vide notification dated 06.12.2017 under the Act.

In the meanwhile the two years period mentioned in the section 4 of the Act is about to be completed notification of rest of eligible colonies &development charges are yet to be issued. Hence, it is required to extend the period stated in the section 4 of the Act for completion of the process. It is, therefore, proposed that in section 4 (1) and (2) of the Act the words "two years" may be substituted by the words "three years" so that one more year may be made available to declare areas as the Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas.

KAVITA JAIN,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 10th March, 2018.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2018 का विधेयक संख्या 13-एच०एल०ए०

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2018

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना
का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2016,
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।

(2) यह 21 अप्रैल, 2016 से लागू हुआ समझा जाएगा ।

2016 का हरियाणा अधिनियम 14 की धारा 4 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2016 की धारा 4 में,–

(i) उप–धारा (1) में, ''दो वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ii) उप–धारा (2) में, ''दो वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा नगरपालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 2016 पालिका सीमाओं में पड़ने वाले उन क्षेत्रों को पहचानने के लिये अधिनियमित किया गया था जहाँ 31.3.2015 से पूर्व 50 प्रतिशत प्लाटों पर निर्माण किया जा चुका है को नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना प्रदान करने के लिये इन क्षेत्रों को नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना अपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र घोषित किया जाना है। इस अधिनियम की धारा 4 'प्रवर्तन अस्थगित रखना' एक वर्ष की अवधि के लिए थी, जो 20.04.2017 तक थी। इस विभाग द्वारा एक साल की वैधता के अन्तराल में निम्नलिखित कार्य किये गये :

क. नगरपालिकाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए पत्र दिनांक 10.7.2015 द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए।

ख. इस प्रक्रिया को ज्ञापन दिनांक 16.09.2016, 18.11.2016 तथा 26.11.2016 द्वारा परिचालित किया गया जिस पर ज्ञापन दिनांक 08.08.2017 द्वारा रोक लगा दी गई।

ग. आदेश दिनांक 04.10.2016 द्वारा विकास शुल्क जारी किए गए, जिन्हें ज्ञापन दिनांक 21.10.2016 के द्वारा रोके रखा गया है।

चूंकि अनधिकृत कॉलोनियों को घोषित करने की प्रक्रिया एक साल में पूर्ण नहीं हो सकी। इसलिए अधिनियम में "एक साल" की अवधि को "दो साल" का संशोधन अधिसूचना दिनांक 23.11.2017 द्वारा किया गया था। उपरोक्त अधिनियम की वैधता दिनांक 20.04.2018 तक है।

क. राज्य में पालिका सीमाओं के अन्तर्गत ऐसे नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना अपूर्ण नगरपालिका क्षेत्रों के सर्वे की प्रक्रिया आरम्भ कर दी। कुल 982 कॉलोनियों के प्रस्ताव 80 नगरपालिकाओं से प्राप्त हुये हैं, जिनमें से 528 कॉलोनियों के योग्य पाये गये हैं।

ख. गुरूग्राम नगरपालिका की 15 कॉलोनियां तथा फरीदाबाद नगरपालिका की 9 कॉलोनियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 06.12.2017 द्वारा अधिसूचित किया गया।

शेष बची हुई योग्य कॉलोनियों की अधिसूचना तथा विकास शुल्क जारी किये जाने हैं परन्तु इसी दौरान, इस अधिनियम की धारा 4 में वर्णित दोवर्ष की अवधि पूरी होने जा रही है। इसलिए इस अधिनियम की धारा 4 की वैधता बढ़ाने की आवश्यकता है। अतः यह प्रस्तावित है कि इस अधिनियम के अनुभाग 4(1) तथा 4(2) में शब्दों "दो साल" को शब्दों "तीन साल" से बदल दिया जाये ताकि ऐसे योग्य क्षेत्रों को नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना अपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने के लिये एक अन्य साल उपलब्ध करवाया जा सके तथा इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधायें प्रदान की जा सके।

कविता जैन,
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 10 मार्च, 2018.

आर० के० नांदल,
सचिव।

56091—H.V.S.—H.G.P.,Chd.